III 58/14

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BZ 415920

30 OCT 2014

दस्तावेज ट्रस्ट (डीड/न्यास पत्र)

हम कि **रामाश्रय पाण्डेय पुत्र स्व0 रामकुँवर पाण्डेय, ग्राम–बेरूकही, पोस्ट–महडौर, जनपद–गाजीपुर** व **श्रीमती सरोज पाण्डेय पत्नी श्री रामाश्रय पाण्डेय, ग्राम–बेरूकही, पोस्ट–महडौर, जनपद–गाजीपुर** इस ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी हैं जो दिनांक 21–11–2014 को अस्तित्व में लाया गया। हम संस्थापक ट्रस्टी राष्ट्रीय, आध्यात्मिक एवं सामाजिक सेवा जिसमें मुख्य रूप से राष्ट्रप्रेम, पर्यावरण सुरक्षा, आध्यात्मक एवं धर्म सुरक्षा, शैक्षिक जागरूकता, शिक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, गरीबों के उत्थान एव अन्य पिछडी जाति, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लोगों का उत्थान करने में विशेष रूचि रखने के कारण इस ट्रस्ट की स्थापना करते हैं। हम **रामाश्रय पाण्डेय** संस्थापक ट्रस्टी प्रथम/मुख्य ट्रस्टी व **श्रीमती सरोज पाण्डेय** महासचिव संस्थापक ट्रस्टी द्वितीय नियुक्त करते हुए **माँ भवानी सेवा ट्रस्ट** की स्थापना करते हैं। इस ट्रस्ट (न्यास) का प्रबन्धन, कार्यप्रणाली, उद्देश्य एवं व्यवस्था निम्न नियमों उपबन्धों के अन्तर्गत की जायेगी। ट्रस्ट का नाम, पता निम्नवत है।

ट्रस्ट (न्यास) का नाम– माँ भवानी सेवा ट्रस्ट

ट्रस्ट का पता–

ग्राम	बेरूकही
पोस्ट	महडौर
थाना	कासिमाबाद
परगना	जहूराबाद
तहसील	मुहम्मदाबाद
जनपद	गाजीपुर

मुख्यालय– पंजीकृत कार्यालय ग्राम–बेरूकही, पोस्ट–महडौर, जनपद–गाजीपुर (उ0 प्र0) आवश्यकतानुसार स्थानान्तरित किया जा सकता है।

रामाश्रय पाण्डेय

सरोज पाण्डेय



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BC 346211

ट्रस्ट में निम्नलिखित व्यक्तियों ने ट्रस्टी सदस्य बनने हेतु अपनी सहर्ष सहमति प्रदान किये हैं।

(1) श्री रामाश्रय पाण्डेय पुत्र स्व0 रामकुँवर पाण्डेय, ग्राम–बेरूकही, पोस्ट–महडौर, जनपद–गाजीपुर (मुख्य संस्थापक ट्रस्टी प्रथम)

(2) श्रीमती सरोज पाण्डेय पत्नी श्री रामाश्रय पाण्डेय, ग्राम–बेरूकही, पोस्ट–महडौर, जनपद–गाजीपुर (महासचिव संस्थापक ट्रस्टी द्वितीय)

(3) श्री जितेन्द्रनाथ दूबे पुत्र श्री रामपूजन दूबे, ग्राम–विशुनपुर, पोस्ट–रेहती मालीपुर, जनपद–गाजीपुर(सदस्य)

(4) श्री गोविन्द तिवारी पुत्र श्री बैजनाथ तिवारी, ग्राम–बेलवनिया, पोस्ट–नगहर, जनपद–बलिया (सदस्य)

(5) श्रीमती सुमित्रा तिवारी पत्नी श्री जयप्रकाश तिवारी, ग्राम व पोस्ट–हंसराजपुर, जनपद–गाजीपुर(सदस्य)

(6) श्री रमेश पाण्डेय पुत्र स्व0 केशव पाण्डेय, ग्राम व पोस्ट–रेंगा, जनपद–गाजीपुर (सदस्य)

(7) श्री राजेन्द्र पाण्डेय पुत्र स्व0 रामकुँवर पाण्डेय, ग्राम–बेरूकही, पोस्ट–महडौर, जनपद–गाजीपुर (सदस्य)

ट्रस्ट का नाम– **माँ भवानी सेवा ट्रस्ट**

ट्रस्ट का पता– ग्राम–बेरूकही, पोस्ट–महडौर, जनपद–गाजीपुर

ट्रस्ट का मुख्यालय– ग्राम–बेरूकही, पोस्ट–महडौर, जनपद–गाजीपुर

ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र– सम्पूर्ण भारत वर्ष

ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य– ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य भिन्न–भिन्न स्थान पर अंग्रेजी एवं हिन्दी माध्यम की शिक्षण संस्थाएँ प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्च शिक्षा स्तरीय महाविद्यालय, संस्कृत महाविद्यालय, नर्सिंग सस्थान, चिकित्सा शिक्षा, मेडिकल कालेजों एवं अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों आदि की स्थापना करना। ग्रामीण अचल में मध्यम व कमजोर वर्ग के साथ–साथ दलितों को उनके इच्छानुसार शिक्षा मुहैया कराना। प्रौढ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, नौपचारिक शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा व इंजीनियरिंग कालेजों व विभिन्न खेलो की व्यवस्था, क्रीडा क्लब प्रबन्धन, प्रशिक्षण संस्थान, क्रीडा ससाधनों की स्थापना व व्यवस्था करना तथा



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BC 346212

संचालन करना, शिक्षा का देश के कोने–कोने में प्रकाश फैले इसके लिए हर सम्भव कार्य करना, संस्थानों की स्थापना करना, कम शुल्क में पात्र बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के लिए ट्रस्ट द्वारा हर सम्भव प्रयास करना। ट्रस्ट भूमि भवन व पूँजी की व्यवस्था कर देश के किसी भी स्थान पर शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना करके शिक्षा के माध्यम से निर्धन, मध्यम व समाज के दबे कूचले लोगों को आत्म निर्भर कर उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठायेगा, लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना करना एवं उसका संचालन करना, खादी ग्रामोद्योग द्वारा चलायी गयी संस्थाओं हेतु अनुदान प्राप्त करना एवं संचालित करना, विकलांग विद्यालय, अनाथालय, छात्रावास, सांस्कृतिक केन्द्र, आध्यात्मिक व धार्मिक आश्रम, वृद्धा आश्रम आदि की स्थापना करना एवं संचालन करना, नारी उत्थान, बालोत्थान, कुष्ठरोगी, अस्पताल, प्रेस की स्थापना एवं संचालन करना, सामाजिक पत्रिका, अखबार, लाईब्रेरी, कला केन्द्र, उद्यान, साहित्य आदि संस्थाओं को खोलना एवं संचालन करना, नर्सिंग होम की स्थापना करना। ट्रस्ट दैवीय आपदा में जिला, राज्य व केन्द्रीय प्रशासन का समय साधन से समय–समय पर आवश्यकतानुसार सहायता करेगा। ट्रस्ट सरकारी, अर्द्धसरकारी भूमि पर जिला व राज्य प्रशासन व राष्ट्रीय समन्वय स्थापित कर कल्याणकारी योजनाओं का भी संचालन करेगा। किसी निजी भूमि को क्रय–विक्रय करना तथा आवश्यकतानुसार इस ट्रस्ट से संचालित संस्था को लीज (पट्टा) पर देना। बी0टी0सी0, बी0एड0, बी0पी0एड0, टेक्निकल कालेज, सी0बी0एस0ई0, आई0सी0एस0ई0 के स्कूलों की स्थापना करना। उ0 प्र0 सरकार एवं भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली समस्त शैक्षणिक आवासीय एवं सामाजिक संस्थाओं की स्थापना करना तथा संचालन करना। देश–विदेश से चंदा आदि प्राप्त करना एवं ट्रस्ट के माध्यम से खर्च करना, ट्रस्ट के माध्यम से भविष्य में अन्य जो भी संस्थायें खोली जायेंगी उनका नाम एवं नाम परिवर्तन ट्रस्ट की कार्यकारिणी द्वारा तय किया जायेगा। गैर सरकारी संगठन (एन0जी0ओ0) के राजकीय, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय समस्त कार्यों का सम्पादन करना। किसी समिति द्वारा उसके आग्रह पर उसके द्वारा संचालित विभिन्न संस्थाओं यथा– आश्रम, अनाथालय, वृद्ध आश्रम, चिकित्सालय, कुष्ठ आश्रम, विद्यालय, महाविद्यालय, व्यवसायिक,

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BC 346213

तकनीकी, प्राविधिक, चिकित्सीय, संस्थानों आदि को ट्रस्ट (न्यास) में विलीन (समाहित) करना एवं इनको ट्रस्ट के नियमानुसार संचालित करना। रासलीला, रामलीला, मेला, यज्ञ, आध्यात्मिक एवं धार्मिक अनुष्ठानों का प्रयोजन करना। आश्रम, मन्दिर व मठों की स्थापना व उनका संचालन करना। इनके स्थापना एवं प्रयोजन हेतु चन्दा एवं सहयोग प्राप्त करना। जनसंख्या नियंत्रण, एड्स जागरूता एवं अन्य स्वास्थ्य समस्याओं तथा सामाजिक कुरितियों, बुराईयों, अंधविश्वासों के निवारण में राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय सेवाओं का समय साधन से सहयोग करना एवं उनका क्रियान्वयन करना। अन्य सार्वजनिक पूर्त (पब्लिक चैरिटेबुल ट्रस्ट) व अन्य ऐसे संस्थाओं की स्थापना व सहायता करना। कृषि, बागवानी, पशुपालन, गृह–उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण, नारी उत्थान, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग का उत्थान, भ्रष्टाचार निरोध, कानून एवं व्यवस्था का विकास, स्वैच्छीकरण का विकास, औद्योगिक संस्थान/केन्द्र, नागरिक उड्डयन, सहकारिता, ऊर्जा, शिक्षा (प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, कम्प्यूटर शिक्षा, कृषि शिक्षा इत्यादि) संस्कृत शिक्षा, वन, आवास एवं शहरी नियोजन, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, महिला कल्याण, भाषा, धर्मार्थ कार्य, लोक निर्माण, सिंचाई, ग्रामीण अभियंत्रण, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, आयुर्वेद एवं होम्योपैथिक चिकित्सा, परिवहन, परिवार कल्याण, समाज कल्याण, पर्यटन, खाद्य एवं रसद, मनोरंजन, बाल विकास एवं पुष्टाहार, श्रम, भूतत्व एवं खनिजकर्म, खेलकूद, युवा कल्याण, खादी एवं ग्रामोद्योग, भूमि विकास, जल संसाधन, परती भूमि विकास, उद्यान, पर्यावरण, लघु उद्योग, हथकरघा, वस्त्र उद्योग, दुग्ध विकास, ग्राम्य विकास, संस्कृति, मत्स्य, विकलाग कल्याण, पंचायती राज, आबकारी, ग्रामीण रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, नागरिक सुरक्षा, न्याय एवं विधायी संस्थायें, नियोजन, निर्वाचन एवं पंचायती राज, बैंकिंग भाषा, मुद्रण एवं लेखन, भूमि विकास एवं जल संसाधन, राष्ट्रीय एकीकरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सर्तकता, समन्वय, सार्वजनिक उद्यम, सूचना एव जनसम्पर्क, अल्पसंख्यक कल्याण, कृषि



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BC 346214

(5)

विपणन, निर्यात प्रोत्साहन, पुरातत्व, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, प्राणी उद्यान, एड्स नियंत्रण, गंगा–यमुना आदि स्वेच्छीकरण, आपदा राहत, पेयजल एवं स्वच्छता, सहकारी समितियॉ, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा, सैनिक कल्याण, संस्थागत वित्त एवं सर्वहित बीमा, स्थानीय निकाय, यूनानी चिकित्सा, प्रशासन एवं प्रबन्धन संस्थायें, न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, रिमोट सेंसिग, ललित कला, चित्रकला, वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान, वित्तीय प्रबन्ध, प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, आन्तरिक लेखा परीक्षा, संगीत, नाटक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उपभोक्ता हेतु संरक्षण, भूमि सुधार, भण्डारण, विचार, प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया, कम्प्यूटर तथा अन्य क्षेत्रों के विकास हेतु संस्थायें आदि स्थापित करना व उनका विकास करना और प्रबन्धन करना। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 13(1) तथा धारा 11(5) एवं सम्बन्धित नियमों के अनुरूप न्यास का धन विभिन्न योजनाओं में लगाना।

ट्रस्ट का कार्यकाल– ट्रस्ट का कार्यकाल आजीवन रहेगा एवं इस ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टी का कार्यकाल जीवन पर्यन्त होगा, वह जब तक जीवित रहेगा अपने पद पर बना रहेगा। प्रथम ट्रस्टी के अन्त के बाद संस्थापक ट्रस्टी प्रथम की पत्नी/पुत्र/पुत्रवधू/पुत्री क्रमशः जो भी हो संस्थापक ट्रस्टी/मुख्य ट्रस्टी के पद को धारण करेगें, इनके न रहने पर संस्थापक ट्रस्टी प्रथम की वंशावली में से कोई इस पद को धारण करेगा। इसके लिए ट्रस्ट (न्यास) समिति के सदस्यों का जो भी निर्णय होगा, मान्य होगा। कई पुत्र या पुत्री होने की दशा में मुख्य ट्रस्टी पद के लिए ट्रस्ट (न्यास) समिति के सदस्यों का जो भी निर्णय होगा वह मान्य होगा।

ट्रस्ट की विधिक प्रतिबद्धता– माँ भवानी सेवा ट्रस्ट पंजीकृत अधिनियम 21, 1960 के अन्तर्गत भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के अन्तर्गत।

ट्रस्ट की सदस्यता– ट्रस्ट में संस्थापक ट्रस्टी प्रथम एवं महासचिव संस्थापक ट्रस्टी द्वितीय को मिलाकर कुल सदस्यों की संख्या 7 होगी एवं ट्रस्ट में किसी सदस्य का स्थान रिक्त होने पर संस्थापक ट्रस्टी प्रथम की



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BC 346215

(6)

सहमति से 51,000.00 रूपये (इक्यावन हजार रूपये) सदस्यता शुल्क जमा कराकर नया स्थायी सदस्य बनाया जा सकता है। यह संस्थापक ट्रस्टी प्रथम के वंशावली पर लागू नहीं होगा तथा इस ट्रस्ट द्वारा संचालित अन्य संस्थाओं के लिए ट्रस्ट अलग से प्रबन्धकारिणी समिति बना सकती है। जिसमें ट्रस्ट के सदस्य सम्मिलित होंगे एवं इसके अतिरिक्त ट्रस्ट के प्रति हितैषी भाव रखने वाले तथा आवश्यकतानुसार आर्थिक मदद करने वाले व्यक्ति से रू0 51,000.00 (इक्यावन हजार रूपये) सदस्यता शुल्क जमा कराकर नये सदस्य बनाये जा सकते हैं। जिसका कार्यकाल पॉच वर्ष का होगा एवं प्रबन्ध समिति में प्रबन्धक संस्थापक ट्रस्टी/मुख्य ट्रस्टी ही होगा तथा ट्रस्ट द्वारा संचालित अन्य सभी संस्थाओं के प्रबन्धक भी संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी ही होगा या संस्थापक ट्रस्टी/मुख्य ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट के किसी सदस्य को अंशकालिक प्रबन्धक नियुक्त किया जा सकता है जिसका अधिकतम कार्यकाल 5 वर्ष होगा। संस्थापक/ मुख्य ट्रस्टी कभी भी नियुक्त प्रबन्धक को कारण बताकर हटा सकता है।

ट्रस्टी के अधिकार एवं कर्तव्य–

मुख्य ट्रस्टी/संस्थापक ट्रस्टी प्रथम –

1– संरक्षक ट्रस्टी (न्यास) के सभी शाखाओं एवं उपशाखाओं तथा जुडी हुई संस्था के सदस्यों को आवश्यक निर्देश देगा।

2– मुख्य ट्रस्टी द्वारा ट्रस्ट (न्यास) के कार्यहित में लिये गये निर्णय सर्वमान्य होंगे।

3– संस्था के साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी समिति के सभी बैठकों की अध्यक्षता करना।

4– किसी भी विचारणीय विषय पर समानमत होने पर एक निर्णायक मत देना।

5– आवश्यक कागजात पर हस्ताक्षर करना एवं कार्यान्वित करना।

6– ट्रस्ट (न्यास) के विकास से सम्बन्धित कार्यक्रमों का परामर्श देना एवं कार्यक्रमों का निर्धारण करना।

रामेश्वर पाण्डेय सरोज पाण्डेय



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BC 346216

(7)

7– ट्रस्ट (न्यास) वाह्य एवं आन्तरिक नीतियों का निर्धारण करना एवं ट्रस्ट (न्यास) के विकास के विभिन्न संसाधन इकट्ठा करना व ट्रस्ट (न्यास) के पदाधिकारियों व सदस्यों को तत्सम्बन्धित कार्यवाही से अवगत कराना।

8– मुख्य ट्रस्टी द्वारा संस्थाओं के लिए भूमि भवन का क्रय–विक्रय लीज (पट्टा) करना किसी अन्य प्रकार से अन्तरित करना एवं वादों का निस्तारण की पैरवी करना।

9– मुख्य ट्रस्टी ट्रस्ट द्वारा संचालित किसी संस्था की चल–अचल सम्पत्तियों को ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति के लिए बेच या खरीद सकता है।

10– मुख्य ट्रस्टी ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए देश–विदेश से अनुदान/दान प्राप्त कर सकता है एवं उसे खर्च कर सकता है। ट्रस्ट के लिए सहयोग, चन्दा, आमजनता किसी भी व्यक्ति, फर्म,एसोसिएशन, किसी अन्य न्यास या कार्पोरेट बॉडी इत्यादि से धनराशि बिना शर्त या सशर्त स्वीकार करना एवं विवेकानुसार उसे व्यय करना।

11– संस्था के कर्मचारियों की नियुक्ति, अनुशासनात्मक कार्यवाही, पदोन्नति, निलम्बन व बर्खास्तगी करने का अधिकार संस्थापक ट्रस्टी के पास सुरक्षित है।

12– संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी किसी भी समय किसी सदस्य को कारण बताकर 2/3 बहुमत से निकाल सकता है यह प्राविधान संस्थापक ट्रस्टी एवं उसके उत्तराधिकारी पर लागू नहीं होगा।

13– किसी भी सामान्य उद्देश्य से किसी अन्य ट्रस्ट (न्यास) संस्था/समिति का संचालन एवं उसका विलय अपने (ट्रस्ट) में कर सकता है।

14– ट्रस्ट के लिए नवीन सदस्य बनाने हेतु अपनी सहमति, असहमति लिखित रूप से प्रदान करना तथा ट्रस्ट के नियमों, परिनियमों के विपरीत कार्य करने वाले ट्रस्टी को ट्रस्ट से बर्खास्त करना।



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BC 346217

15– ट्रस्ट (न्यास) द्वारा संचालित संस्थाओं, कार्यक्रमों, क्रियाकलापों में निर्धारित शर्तों व वेतन पर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को न्यास के कार्य हेतु नियुक्त करना, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करना, पदोन्नति एवं पदच्युत करना। न्यास के ऐसे कार्यों को किसी भी न्यायालय या ट्रिब्यूनल आदि में विवादित न ही किया जा सके न ही चुनौती दी जा सकेगी।

16– ट्रस्ट द्वारा संचालित विभिन्न संस्थाओं, कार्यक्रमों, क्रियाकलापों आदि के समस्त धनराशियों एवं खातों को संचालन करना। ट्रस्ट के धन को ट्रस्ट के विभिन्न संस्थाओं के विकास एवं चैरिटेबुल कार्यों में व्यय करना।

महासचिव संस्थापक ट्रस्टी द्वितीय–

1– मुख्य संरक्षक ट्रस्टी की अनुपस्थिति में उसके कार्य का सम्पादन महासचिव संस्थापक ट्रस्टी अपने हस्ताक्षर से करेगा तथा मुख्य ट्रस्टी को अवगत करायेगा।

2– बैठक बुलाना एवं सूचना देना।

3– ट्रस्ट (न्यास) के उन्नति के लिए दिशा–निर्देश देना।

4– नये सदस्यों के लिए स्वहस्ताक्षरित रसीद संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी की अनुमति से जारी करना।

5– ट्रस्ट (न्यास) में नये सदस्य बनाने संस्था में कर्मचारियों की नियुक्ति, अनुशासनात्मक कार्यवाही, पदोन्नति, निलम्बन एवं निष्कासन आदि की संस्तुति महासचिव संस्थापक ट्रस्टी मुख्य ट्रस्टी को देगा परन्तु इस पर विचार कर कार्यवाही मुख्य ट्रस्टी द्वारा की जा सकती है लेकिन कार्यवाही का अधिकार मुख्य ट्रस्टी के पास सुरक्षित है।

भारतीय गैर न्यायिक
पचास रुपये
रु.50
भारत
सत्यमेव जयते
INDIA
FIFTY RUPEES
Rs.50
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
BC 346218

6– ट्रस्ट (न्यास) के उन्नति हेतु विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित कर योजनाएँ प्रस्तुत करना तथा ट्रस्ट (न्यास) के हित में समस्त कार्यों का सम्पादन करना।

7– ट्रस्ट (न्यास) में नये सदस्यों को सदस्य बनाने की कार्यवाही मुख्य संस्थापक ट्रस्टी की सहमति से सुनिश्चित करना तथा सम्पूर्ण सदस्यों को इसकी जानकारी देना।

सदस्य ट्रस्टी–

साधारण सभा एवं प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के निर्देश पर बैठकों में भाग लेना एवं ट्रस्ट के सर्वमान्य हित में निर्णय लेना एवं ट्रस्ट की योजनाओं में स्वार्थरहित भाव से सहयोग प्रदान करना।

ट्रस्ट (न्यास) के अंग–

ट्रस्ट (न्यास) निम्नलिखित दो वर्ग की होगी।

1– साधारण सभा

2– प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट

साधारण सभा (गठन)–साधारण सभा का गठन ट्रस्ट (न्यास) के सभी सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा। परन्तु ट्रस्ट अन्य संचालित संस्थाओं के लिए एक प्रबन्ध समिति का गठन कर सकती है। जिसमें ट्रस्ट के सदस्य भी सम्मिलित होंगे। इसके अतिरिक्त 51,000.00 रू0 सस्थापक/मुख्य ट्रस्टी की अनुमति से सदस्यता शुल्क जमा कराकर नये सदस्य बनाये जा सकते हैं किन्तु ये सदस्य ट्रस्ट द्वारा संचालित अन्य संस्थाओं के लिए होंगे एवं इनकी अधिकतम संख्या 7 होगी तथा इनका कार्यकाल पॉच वर्ष का होगा।



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BC 346219

बैठकें–

1– **साधारण बैठकें**– ट्रस्ट (न्यास) के साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में दो बार होगी। आवश्यक बैठक 24 घंटे पहले निर्धारित सूचना अनुसार कभी भी बुलाई जा सकती है।

2– **विशेष बैठक**– दो तिहाई सदस्यों की लिखित मॉग पर या आवश्यकता पडने पर साधारण सभा की आवश्यक बैठक बुलाई जा सकती है।

सूचना अवधि– साधारण स्थिति में प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट समिति का महासचिव, संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी की सहमति से एक सप्ताह पूर्व बैठक की सूचना डाक अथवा दस्ती द्वारा देकर बैठक बुला सकता है। विशेष परिस्थिति में 24 घण्टे की सूचना पर साधारण सभा ट्रस्टियों की बैठक बुलाई जा सकती है।

गणपूर्ति– बैठक में सदस्यों की गणपूर्ति का कोरम उपस्थिति होना आवश्यक है यह गणपूर्ति कुल सदस्यों की संख्या का 1/3 होगी।

विशेष वार्षिक अधिवेशन– साधारण सभा का विशेष वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार जून माह में होगा।

ट्रस्ट के साधारण सभा के कर्तव्य– साधारण सभा ट्रस्टियों के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे।

(अ) वार्षिक आय–व्यय बजट चेक करना।

(ब) ट्रस्ट (न्यास) के विकास हेतु अगले वर्ष के लिए योजना एवं बजट निश्चित करना।

(स) प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का चयन करना।

(द) ट्रस्ट (न्यास) के विकास के लिए समय–समय पर उनके कार्यों को करना जो समिति के हित में हो।



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BC 346220

(11)

ट्रस्ट (न्यास) की प्रबन्धकारिणी समिति–

गठन– साधारण सभा के सदस्यों द्वारा प्रबन्धकारिणी समिति का गठन किया जायेगा जिसमें निम्न पद होंगे। प्रबन्धक, मंत्री, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष एवं दो सदस्य। कमेटी में ट्रस्ट के सदस्य पद प्राप्त कर सकते हैं लेकिन प्रबन्धक पद संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी का होगा या संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी द्वारा भरा जायेगा। ट्रस्ट द्वारा संचालित किसी संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल समाप्त हो जाता है एवं अगले चुनाव में किसी प्रकार का विलम्ब होता है तो अगले चुनाव तक वही प्रबन्ध समिति कार्य करती रहेगी। प्रबन्ध समिति कालातीत नहीं होगी तथा यदि प्रबन्ध समिति में किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो उस प्रबन्ध समिति का सभी अधिकार ट्रस्ट में निहित हो जायेगा और उस संस्था के प्रबन्ध समिति का सभी कार्य ट्रस्ट द्वारा संचालित किया जायेगा।

बैठकें–

सामान्य– सामान्य स्थिति में ट्रस्ट (न्यास) का महासचिव/संस्थापक ट्रस्टी प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी के मुख्य संस्थापक ट्रस्टी की अनुमति से बैठक बुलायेगा।

विशेष– विशेष बैठक प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी का 2/3 सदस्यों की मॉग पर प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति का महासचिव बुलायेगा।

सूचना अवधि– साधारण स्थिति में प्रबन्धक ट्रस्टी समिति, महासचिव संस्थापक ट्रस्टी एक सप्ताह की सूचना पर प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति की बैठक बुला सकता है विशेष बैठक के लिए प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति का महासचिव संस्थापक ट्रस्टी मुख्य संस्थापक ट्रस्टी की अनुमति से 24 घण्टे की सूचना पर बैठक बुला सकता है। सूचना दस्ती अथवा डाक अण्डर पोस्टिंग अथवा समाचार पत्र द्वारा दी जा सकती है।



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BC 346221

गणपूर्ति– प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के समस्त बैठकों की गणपूर्ति समिति के सभी सदस्यों के 2/3 उपस्थिति में पूर्ण मानी जायेगी।

रिक्त स्थानों की पूर्ति– यदि किसी सदस्य के असामयिक निधन या त्याग पत्र या दिवालियापन या पागल हो जाने पर या ट्रस्ट (न्यास) से निष्कासित होने पर उसके स्थान पर प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी सदस्यों के 2/3 के बहुमत से भरा जायेगा जिसमें संस्थापक ट्रस्टी प्रथम एवं द्वितीय की अनुमति आवश्यक है यह प्रक्रिया संस्थापक ट्रस्टी को भरने के लिए लागू नहीं होगी। नये सदस्य की स्थायी नियुक्ति संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी की अनुमति से 2/3 बहुमत के अतिरिक्त 51,000.00 रूपये नगद या उतने की सम्पत्ति देने पर होगी। शुल्क रसीद मुख्य ट्रस्टी अथवा महासचिव ट्रस्टी के हस्ताक्षर से निर्गत होनी आवश्यक है।

प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के कर्तव्य– प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे।

1– बैठक बुलाना अथवा बैठक विसर्जित करना।

2– ट्रस्ट (न्यास) का प्रबन्धन करना अथवा ट्रस्ट (न्यास) द्वारा संचालित समस्त संस्थाओं का प्रबन्धन करना।

3– ट्रस्ट (न्यास) द्वारा संचालित संस्थाओं में कर्मचारियों की नियुक्ति, निलम्बन, निष्कासन, पदोन्नति, विनियमितिकरण का अनुमोदन करना।

4– आय–व्यय का ब्यौरा रखना तथा उसे वार्षिक अधिवेशन के समय साधारण ट्रस्टी सभा के सामने प्रस्तुत करना।

Ramam Singh. शरोज पाण्डेय



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BC 346222

(13)

21. ट्रस्ट (न्यास) के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया–

समय–समय पर परिस्थितियों के अनुसार प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट (न्यास) के नियमावली मे संशोधन एवं परिवर्धन कर सकती है। नियमावली की कटिंग अशुद्वि, संशोधन छूटे हुए शब्द अथवा वाक्य को बनाने का अधिकार प्रबन्धकारिणी ट्रस्ट (न्यास) को होगा।

22– ट्रस्ट (न्यास) के कोष–

ट्रस्ट (न्यास) के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कोष की स्थापना की जायेगी जो किसी राष्ट्रीयकृत बैंक/डाकघर में रखा जायेगा। जिसका संचालन संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी, महासचिव संस्थापक ट्रस्टी/महासचिव ट्रस्टी के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा। परन्तु ट्रस्ट द्वारा संचालित अन्य संस्थाओं के खातों का संचालन ट्रस्ट द्वारा गठित प्रबन्धकारिणी समिति के प्रबन्धक द्वारा किया जायेगा।

23– ट्रस्ट (न्यास) के आय–व्यय का लेखा परीक्षण–

प्रत्येक वित्तीय वर्ष मे एक बार किसी भी योग्य आडिटर से संस्था का आय–व्यय का लेखा परीक्षण कराया जायेगा।

24– ट्रस्ट (न्यास) द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व–

ट्रस्ट (न्यास) द्वारा अथवा उसके विरूद्ध समस्त अदालती कार्यवाही के संचालन का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धकारिणी ट्रस्टी समिति पर होगा जो किसी पदाधिकारी अथवा सदस्य को इस कार्य के निमित नियुक्त कर सकती है।

रामकृपाल

14



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH BC 346223

(14)

25– ट्रस्ट (न्यास) के अभिलेख–

ट्रस्ट (न्यास) के समस्त अभिलेख जैसे–सूचना रजिस्टर, सदस्यता रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर, कैश बुक संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी के पास होंगे।

26– मॉ भवानी सेवा ट्रस्ट (न्यास) के पास सदस्यता शुल्क के माध्यम से रू0 5,000.00 (पॉच हजार रूपये) प्रारम्भिक कार्य हेतु उपलब्ध हैं।

27– ट्रस्ट (न्यास) के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही– ट्रस्ट (न्यास) के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत की जायेगी।

28– ट्रस्ट (न्यास) संस्था का किसी भी कारण से विघटन होता है तो उस दशा मे ट्रस्ट या संस्था की सम्पूर्ण सम्पत्ति पर स्वामित्व संस्थापक/मुख्य ट्रस्टी का होगा।

29ए– हिन्दी, संस्कृत, उर्दू तथा अन्य प्राच्य भाषाओं से प्राइमरी जूनियर हाईस्कूल, इण्टर कालेज, डिग्री कालेज, शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थाओं स्नातकोत्तर महाविद्यालय, विधि महाविद्यालय, प्राविधिक तकनीकी, चिकित्सा, व्यवसायिक, औद्योगिक संस्थानों/केन्द्रों आदि की स्थापना करना एवं उसका संचालन करना।

29बी– संस्था को आगे बढाने के लिए 12ए, 80जी, 10/23 व 35 एक्ट के अन्तर्गत मिलने वाली सुविधाओ को प्रदान करना।

रामजन्म यादव संरक्षक

15

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये

रु.50

FIFTY RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BC 346224

(15)

29सी–केन्द्र सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा चलायी जाने वाली समस्त परियोजना को जनता के हित में संचालित करना एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले तमाम पीडित लोगों को उन्नयन एवं लाभान्वित करना आदि। संस्था अपने उद्देश्यों/लक्ष्यों की पूर्ति के लिए सरकारी/गैर सरकारी बैंकों से लेन–देन (ऋण) आदि ले सकती है।

29डी–आयकर अधिनियम 1961 की सुसंगत धाराओं का पालन किया जाता रहेगा।

दिनांक : मस्तकीकर्ता – परशुराम सिंह

21/11/14

दस्तखत गवाह

ग० अम्बिका चायल पु० रामचन्द्र
मौजाही उर्फ बंजहुरवा, गाजीपुर

गवाह : महादेव राम पु० भावेजराम साo साधापुर
थो० महौर जि० गाजीपुर

वीर बहादुर सिंह पूर्वान्चल

पत्र

प्रेष

सेवा में

विषय

महोदय

28.06.
सकाय
रसाय
इंगित
के सा
जी के
है।

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

पर्व

6484 6436

2/7/2014

ओमप्रकाश राय

[illegible] प्लाट नं० 9
[illegible] 1 [illegible] 143 मार्च 15
[illegible]
मुहम्मदाबाद - गाजीपुर

21/11/14

19 पृष्ठ 303/332

58

udn